

**न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर**  
राजस्व अपील संख्या 18/2019 (2019/00064)

श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री बाबूलाल मलूका, जाति भाग्बी, निवासी भूडोल, अजमेर,  
तहसील व जिला अजमेर। .....अपीलान्ट

**बनाम**

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार द्वितीय अजमेर।

..... रेस्पोंडेन्ट

**अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956**

उपस्थित :- 1. श्री मदनलाल गुर्जर  
2. श्री हेमराज राठौड

अभिभाषक अपीलार्थी  
राजकीय अभिभाषक

**आदेश**

**दिनांक :- 26.09.2019**

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि सम्वत् 2075 में अपीलान्ट द्वारा ग्राम घूघरा तहसील अजमेर जिला-अजमेर स्थित आराजी खसरा सं0 3185 रकबा 0.29 हैक्टर किस्म बरानी 2 मे से 181 वर्गमीटर भूखण्ड पर अनाधिकृत रूप से मुटाम बनाकर अतिक्रमण कर लिया है। इस आशय की पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर नायब तहसीलदार अजमेर द्वितीय द्वारा अतिक्रमी के विरुद्ध राजस्व प्रकरण संख्या 37/2019 पंजीबद्ध कर बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 29.03.2019 को निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय अनुसार अतिक्रमी को विवादित भूमि से बेदखल कर कब्जा सरकार करने के साथ ही शास्ति कायम करने के आदेश दिये गये। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपित आदेश दिनांक 29.03.2019 से असन्तुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट को नोटिस जारी किये गये तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोंडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

हमने उपस्थित उभय पक्ष की बहस सुनी। वकील अपीलान्ट ने अपील में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। ग्राम घूघरा की विवादित आराजी खसरा नं0 3185 के कुल रकबा भूमि में से 181 वर्ग मीटर भूमि पर नाजायज कब्जा कर अतिक्रमण नहीं किया गया, बल्कि उक्त भूमि को अपीलान्ट द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 30.09.2013 के द्वारा खातेदार काश्तकार श्रीमती सन्तरा पत्नी रामपाल जाति मेघवाल निवासी सरस्वती नगर, कायड रोड, घूघरा से खरीद कर मौके पर कब्जा प्राप्त किया। विक्रय पत्र के आधार



**Atkharo**  
जिला कलक्टर,  
अजमेर

पर अपीलान्त खरीददार के नाम नामान्तरकरण संख्या 128 दिनांक 20.12.2013 स्वीकार किया जाकर राजस्व अभिलेख में अपीलान्त का नाम दर्ज किया गया। चूंकि अपीलान्त अनुसूचित जाति की सदस्या है तथा प्रश्नगत आराजी जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय कर, खरीद दिनांक से काबिज होकर रिकार्डेड खातेदार है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय में अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत जवाब कथनों के सम्बन्ध में एक पंक्ति भी दर्ज नहीं कर अपीलान्त को अतिक्रमी घोषित कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त के इस कथन पर भी कोई गौर नहीं किया कि भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा भू-प्रबन्ध के दौरान भूल से खातेदारी भूमि को त्रुटिवश राजकीय भूमि दर्ज कर दी गई। उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर प्रश्नगत आराजी राजकीय भूमि नहीं होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91/90 के तहत की गई कार्यवाही निराधार होने तथा पोषणीय नहीं होने से काविले निरस्त है। रेस्पोजेन्ट के द्वारा मौके, रिकार्ड एवं वस्तुस्थिति की जांच तथा पटवारी हल्का के बयान लिए बिना पारित आक्षेपित आदेश प्राकृतिक एवं नैसर्गिक न्याय नियम एवं विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर आक्षेपित आदेश दिनांक 29.03.2019 को खारिज फरमाये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

उपस्थित राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्त की अपील संधारण योग्य नहीं है। मुताबिक वर्तमान राजस्व रेकार्ड, जमाबन्दी में ग्राम घूघरा की प्रश्नगत आराजी खसरा नं0 3185 सिवाय चक दर्ज है। राजकीय भूमि पर अतिक्रमण होने/पाये जाने पर धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही नियमानुसार अपेक्षित है, उसी के तहत कब्जा अतिक्रमण होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रिपोर्ट पटवारी के आधार पर प्रकरण दर्ज कर प्रावधानों अनुसार अतिक्रमी को नोटिस जारी किया जाकर साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर ही आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्त अस्वीकार कर खारिज की जावे।

हमने बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया, रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक दर्ज है। अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर नायब तहसीलदार द्वारा धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही पूर्णरूपेण विधि अनुरूप की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर पारित आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का पर्याप्त आधार स्पष्ट नहीं होने से अपील खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.03.2019 यथावत रखा जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 26.09.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।



*Sharma*  
(विश्व मोहन शर्मा)  
जिला कलेक्टर,  
अजमेर

